Technician Electronics

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 437] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 27, 2007/आश्विन 5, 1929
No. 437] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 27, 2007/ASVINA 5, 1929

पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

(दीपस्तम्भ और दीपपोत महानिदेशालय)

अधिसूचना

नोएडा, 17 सितम्बर, 2007

सा.का.नि. 629(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दीपघर और दीपपोत विभाग अराजपत्रित तकनीकी पद भर्ती नियम, 1978 को जहाँ तक उसका संबंध तकनीशियन (इलेक्ट्रोनिकी) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय में तकनीशियन (इलेक्ट्रोनिकी) समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, दीपस्तम्भ और दीपपोत महानिदेशालय, तकनीशियन (इलेक्ट्रोनिकी) समूह 'ग' भर्ती नियम, 2007 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या,

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	प्रदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का लाभ, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
तकनीशियन (इलेक्ट्रोनिकी)	16* (2007) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित (अननुसचिवीय)	4500-125-7000 रुपये **टिप्पण—पाँचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार ज्येष्ठता के आधार पर स्वीकृति पदों को 4500-125-7000 रुपये के वेतनमान में पाँच वर्ष की सेवा पूरी करने पर** 5500-175-9000 रुपये का उच्चतर वेतनमान प्रदान किया जाएगा ।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए समय-समय पर अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण.**—1. आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से (वह अंतिम तारीख नहीं है जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर का लद्दाख क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश का लाहौल एवं स्पीति जिला एवं चंबा जिले का पांगी उपक्षेत्र एवं अंडमान एवं निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के लिए निर्धारित की गई है) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । **टिप्पण.**—2. रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जब तक रोजगार कार्यालय को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
8	9	10	11
आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या समतुल्य से इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरी या इलैक्ट्रोनिक्स एवं कम्यूनिकेशन इंजीनियरी या विद्युत एवं इलैक्ट्रोनिक्स या उपरोक्त किसी में संयुक्त रूप में डिप्लोमा । (2) वायरलेस ट्रांसमीटर, रिसीवर, एरियल सिस्टम एवं संबंधित ऊर्जा संयंत्रों में संस्थापन एवं अनुरक्षण में एक वर्ष का अनुभव । **वांछनीय :**—माइक्रोवेब उपकरणों के रखरखाव में एक वर्ष का अनुभव । **टिप्पण :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं)/नियुक्ति/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर नियुक्ति/सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधे भर्ती

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अवशोषण किया जाएगा ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
12	13	14
लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए), में निम्नलिखित सदस्य होंगे : (1) महानिदेशक, दीपस्तम्भ और दीपपोत —अध्यक्ष (2) निदेशक (इलै.), दीपस्तम्भ और दीपपोत —सदस्य (3) एक बाहरी सदस्य जो अवर सचिव के पद से कम का अधिकारी न हो —सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. 3/12/2005-प्रशा.-1]

मनमोहन सिंह सुमन, महानिदेशक

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Shipping)

(DIRECTORATE GENERAL OF LIGHTHOUSES AND LIGHTSHIPS)

NOTIFICATION

Noida, the 17th September, 2007

G.S.R. 629(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Lighthouses and Lightships, (Non-gazetted Technical posts), Recruitment Rules, 1978, in so far as it relates to the post of Technician (Electronics), except as respect things done or omitted to be done before such

supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technician (Electronics), Group "C" post in the Directorate General of Lighthouses and Lightships, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Directorate General of Lighthouses and Lightships, 'Technician (Electronics)' Group "C" post, Recruitment Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and scale of pay.**—The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect relaxation of age limit, reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts	Number of post	Classification	Scale of pay selection	Whether benefit of post or non-selection	Whether added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits of
1	2	3	4	5	6	7
Technician (Electronics)	16* (2007) *Subject to dependent on work-load	General Central variation Group 'C' Non-Gazetted,. (Non-Ministerial)	Rs. 4,500-125-7,000 **Note.**–As per the Service 5th Central Pay Commission, 30% of the sanctioned posts on seniority basis will be granted higher scale of pay of Rs. 5500-175-9000 on completion of five years of regular service in the scale of pay of Rs. 4500-125-7000.	Not applicable recommendation of	Not applicable	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note :1.** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul and

7
Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep). **Note : 2.** In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	**Method of recruitment** : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
8	9	10	11
Essential :— (i) Diploma in Electronics Engineering or Electronics and communication Engineering or Electrical and Electronics or a combination of above from a recognized institution or equivalent qualification. (ii) One year experience in the installation and maintenance of wireless transmitters, receivers, aerial systems and associated power plant. **Desirable.**—Experience in the handling of microwave equipment is desirable. **Note.**—The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the appointing authority in case of candidates belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes if at any stage of selection the appointing authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable	Two years	Direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13	14
Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of : (1) Director General of Lighthouses and Lightships —Chairman (2) Director (Electronics), Directorate General ofLighthouses & Lightships —Member (3) Outside member not below the rank of Under Secretary —Member	Not applicable

[F. No. 3/12/2005-Admn-I]

M. M. SINGH SUMAN, Director General

4017GI/07-2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.